**Pinki Rani**
Assistant Professor (Guest Faculty)
Department of Economics
Maharaja College
Veer Kunwar Singh University, Ara
B.A. Economics
B.A Part -2
Paper-3
Topic : भूमि सुधार प्रणाली
**Date: 03/02/2024**

## भूमि सुधार प्रणाली:

भूमि सुधार का तात्पर्य भारत में भूमि के स्वामित्व और विनियमन में सुधार के प्रयासों से है। अथवा, वह भूमि जो सरकार द्वारा भूमिधारकों से भूमिहीन लोगों को कृषि या विशेष प्रयोजन के लिए पुनर्वितरित की जाती है, भूमि सुधार के रूप में जानी जाती है।

## संक्षिप्त:

भूमि किसी भी देश के लिए बहुमूल्य है और इसका उपयोग लोग उत्पादकता के लिए और भोजन के स्रोत के रूप में, रहने के लिए जगह के लिए, लकड़ी के लिए, काम करने के स्थान के लिए करते हैं। भारत में, औपनिवेशिक शासन से पहले भूमि समग्र रूप से समुदाय के हाथों में होती थी। हालाँकि ब्रिटिश राज के दौरान इसमें बदलाव किया गया।

लॉर्ड कार्नवॉलीज़ ने 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए स्थायी भूमि बंदोबस्त की शुरुआत की थी। इसके अनुसार ब्रिटिश शासकों द्वारा नियुक्त कर किसानों को विभिन्न भूमि स्वामी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। इस नियम के तहत उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निश्चित कमीशन देना पड़ता था। इस प्रकार इन मध्यस्थों का गठन किया गया और उन्हें जागीरदार/जमींदार कहा गया।

किरायेदारों का उद्भव: भूमि बंदोबस्त अधिनियम, 1793 के बाद, किसान भूमि मालिकों से जमीन खरीदते हैं और इसे अपने कृषि उपयोग के लिए किराए पर लेते हैं। भूमि किराये पर लेने वाले ये लोग किरायेदार कहलाते थे।

## किरायेदारी में बदलाव:

नकद किरायेदार: वे भूमि के उपयोग और कब्जे के लिए एक निश्चित कर का भुगतान करते हैं।

शेयर-नकद किरायेदार: वे अपने लगान का एक हिस्सा नकद में और दूसरा हिस्सा फसल के हिस्से के रूप में देते हैं।

फसल - साझा किरायेदार: वे केवल फसल का हिस्सा देते हैं।

फसल काटने वाले: वे हिस्से की फसल का भुगतान करते हैं। लेकिन वे स्वतंत्र नहीं थे और जमींदार के अधीन काम करते थे।

## बिचौलियों का उन्मूलन:

- यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था कि कृषि अर्थव्यवस्था में स्थिरता का मुख्य कारण काफी हद तक शोषणकारी कृषि संबंध थे।

- शोषण का मुख्य साधन जमींदार जैसे मध्यस्थ थे, जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा संरक्षण और बढ़ावा दिया जाता था।

- स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर खेती योग्य लगभग 60% क्षेत्र जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत था। राज्यों ने कानून पारित करके जमींदारों जैसी बिचौलियों को समाप्त करने का कार्य किया।

- सरकार का अनुमान है कि पहली चार पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल मिलाकर 173 मिलियन एकड़ भूमि बिचौलियों से अधिग्रहीत की गई और दो करोड़ किरायेदारों को खेती के लिए भूमि दी गई।

- बिचौलियों का उन्मूलन आम तौर पर भूमि सुधारों का एक घटक माना जाता है जो अपेक्षाकृत सफल रहे हैं। अन्य घटकों के संदर्भ में रिकॉर्ड मिश्रित है और राज्यों और समय के साथ बदलता रहता है। भूस्वामियों ने स्वाभाविक रूप से इन सुधारों के कार्यान्वयन का सीधे तौर पर अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करके और कर चोरी और जबरदस्ती के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके विरोध किया, जिसमें सीलिंग को दरकिनार करने के लिए विभिन्न रिश्तेदारों के नाम के तहत अपनी जमीन का पंजीकरण करना और भूमि के विभिन्न भूखंडों के आसपास किरायेदारों को इधर-उधर करना शामिल था। ताकि वे किरायेदारी कानून में निर्धारित सत्ता अधिकार हासिल न कर सकें।

- भूमि सुधार की सफलता विशिष्ट राज्य प्रशासनों की राजनीतिक इच्छाशक्ति से प्रेरित रही है, जिनमें उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले केरल और पश्चिम बंगाल के वामपंथी प्रशासन हैं।